Rajasthan Police Academy

News Letter

अक्टूबर से दिसम्बर 2020

शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धासुमन

इस अंक में .....

- CCPWC लैब का लोकार्पण
- शहीद दिवस पर शहीदों को श्रृद्धांजलि
- गांधी जयन्ती पर पुलिस महानिदेशक से संवाद
- राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का MCTP कार्यक्रम
- नवपदोन्नत पुलिस उपअधीक्षकों का इन्डेक्शन कोर्स
- अति उत्कृष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा पदकों की घोषणा

निदेशक की कलम से.....

वर्तमान में सोशल मीडिया का नेटवर्क पूरी दुनिया में है जिसमें पूरा विश्व जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि से परे एक सूत्र में जुडा हुआ है। जहां एक ओर सोशल मीडिया किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विचारधाराओं, योजनाओं, नीतियों आदि का त्वरित आदान प्रदान कर समाज को सशक्त बनाने में सकारात्मक भूमिका अदा करता है वहीं दूसरी ओर इसका दुरुपयोग समाज के लिए एक गंभीर चुनौती के रुप में सामने आया है। सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा एक बडी चुनौती है जिसमें पुलिस की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा इसी मुद्दे पर पुलिस अधिकारियों के विचार जानने के लिए एक निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बडी संख्या में पुलिस अधिकारियों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इस प्रतियोगिता में श्री रेवन्त दान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनके लेख का प्रकाशन इस अंक में किया जा रहा है।

पिछले कुछ समय में कोविड 19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण सभी क्षेत्रों में गतिविधियां प्रभावित रहीं। राजस्थान पुलिस अकादमी भी इससे अछूती नहीं रही और इसके कारण प्रशिक्षण गतिविधियां प्रभावित रही। अब पूर्ण सर्तकता एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 के संबंध में जारी दिशानिर्देशों की पालना करते हुए प्रशिक्षण गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके के साथ प्रारम्भ किया गया है।

राजस्थान पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक तकनीक से लैस साईबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण लैब का लोकार्पण माननीय मुख्यमन्त्री, राजस्थान द्वारा 18 दिसम्बर को किया गया इसमें पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों को साईबर अपराध के अनुसंधान के संबंध में सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा।

अपने लक्ष्य पर केन्द्रित होकर पूर्ण मनोयोग से कार्य करना श्रेष्ठ कार्यपद्धति है। राजस्थान पुलिस अकादमी परिवार के सदस्य इसी कार्यपद्धति पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु कटिबद्ध है।

जय हिन्द

राजीव शर्मा
निदेशक

साईबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण लैब का लोकार्पण

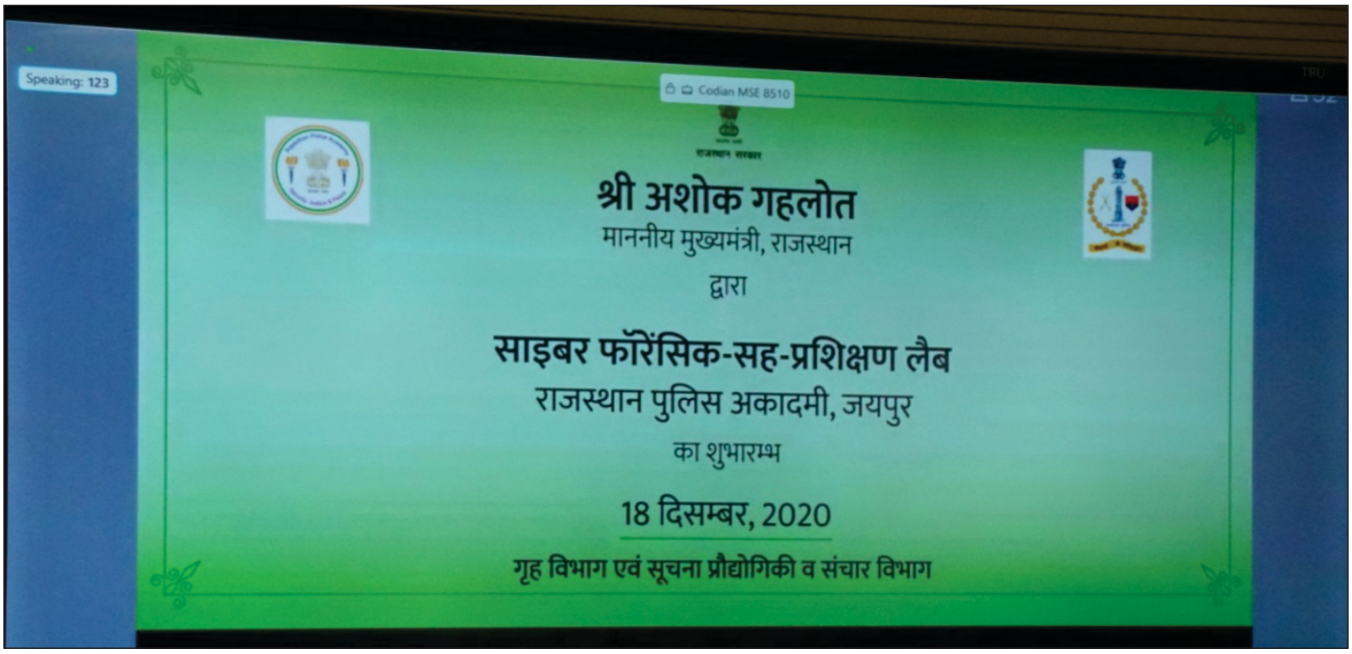

राजस्थान पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक तकनीक से लैस साईबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण लैब का ऑनलाईन लोकार्पण माननीय मुख्यमन्त्री, राजस्थान द्वारा 18 दिसम्बर को किया गया इसमें पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों को साईबर अपराध के अनुसंधान के संबंध में सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्भया फण्ड के तहत महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध होने वाले साईबर अपराधों की रोकथाम के लिए (Cyber Crime Prevention against Women & Children – CCPWC) योजना पूरे भारतवर्ष में लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साईबर अपराधों को रोकने के लिए एक प्रभावी तन्त्र विकसित करना है।

इस योजना के तहत साईबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण लैब का निर्माण राजस्थान पुलिस अकादमी में किया गया है, जिसके अन्तर्गत 1455 पुलिस अधिकारियों, 250 न्यायिक अधिकारियों एवं 250 लोक अभियोजकों सहित कुल 1955 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों के लिए 3 एवं 5 दिवसीय तथा न्यायिक अधिकारियों व लोक अभियोजकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है।

साईबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण लैब में डिजिटल क्लॉस रुम स्थापित किया गया है, जिसमें एक समय में कुल 30 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए पृथक–पृथक कम्प्यूटर टर्मिनल स्थापित किए गए है। इसके अतिरिक्त विशेष लैब में साईबर फोरेंसिक के प्रशिक्षण हेतु विशेष सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करवाये गए है जिनके माध्यम से निम्नांकित विषयों पर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा –

1. Call Data Analysis
2. Hard Disk Forensic Analysis
3. Mobile Data Extraction Analysis
4. Social Media Analysis
5. Video Forensics & CCTV Analysis

गांधी दर्शन - पुलिस व्यवहार में प्रासंगिकता संवाद पुलिस महानिदेशक के साथ

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में गांधी जयन्ती के अवसर पर पुलिस महानिदेशक डॉ. भूपेन्द्र सिह के साथ गांधी दर्शन की पुलिस व्यवहार में प्रासंगिकता विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का समन्वय श्री गोविन्द पारीक, जनसम्पर्क अधिकारी, पुलिस मुख्यालय द्वारा किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत मे राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा ने पुलिस महानिदेशक का स्वागत किया गया। संवाद प्रारंभ होने से पूर्व श्रीमति इन्दू शर्मा, पुलिस निरीक्षक ने गांधी जी के प्रिय गीत ''वैष्णव जन ते'' को प्रस्तुत किया।

इस संवाद कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक डॉ. भूपेन्द्र सिह ने गांधी दर्शन की प्रासंगिकता पर विभिन्न सवालों का उत्तर दिया। उन्होंने गांधी जी के जीवन से जुडे रोचक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए पुलिस व्यवहार में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होने गांधी दर्शन के चार आधारभूत सिद्धान्तों सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा सद्भाव पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होने पुलिस अधिकारियों को विधिक प्रावधानों

के अनुरुप कार्य करने, पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा को रोकने, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने तथा आमजन में विश्वास कायम करने से जुडे मुद्दों पर विशेष रुप से ध्यान देकर कार्य करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के अन्त में राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा ने पुलिस महानिदेशक महोदय को गांधी चरखा स्मृति चिन्ह के रुप में प्रदान किया।

पुलिस शहीद दिवस पर शहीदों को श्रृद्धासुमन

कर्तव्य पालन में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को श्रृद्धांजलि देने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी के शहीद स्मारक पर दिनांक 21 अक्टूबर 2020 को शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महानिदेशक पुलिस श्री एम एल लाठर का सम्मान गार्ड द्वारा अभिवादन किया गया। तत्पश्चात् पुलिस महानिदेशक महोदय ने पिछले एक वर्ष के दौरान कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले केन्द्रीय पुलिस बलों एवं राज्य पुलिस बलो के शहीदों के नामों का वाचन कर उनका स्मरण किया। इसके बाद महानिदेशक

पुलिस श्री एम एल लाठर एवं सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री कपिल गर्ग, आसूचना ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक श्री के सी मीणा एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक श्री विवेक प्रियदर्शी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री भूपेन्द्र दक एवं अराजपत्रित अधिकारी श्री मदन सिंह, राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा एवं पुलिस आयुक्त जयपुर श्री आनन्द श्रीवास्तव ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रृद्धांजलि दी। समारोह में मौजूद पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को स्मरण कर नमन किया।

इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित राजकीय अस्पताल में रक्तदान तथा प्लाज्मा डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया जिसमें राजस्थान पुलिस अकादमी के उप निदेशक एवं प्राचार्य श्री मनीष अग्रवाल सहित बडी संख्या में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों ने रक्तदान किया। पुलिस महानिदेशक श्री एम एल लाठर ने रक्तदान करने वालों की राजकीय अस्पताल जाकर हौंसला अफजाई की।

Course on Investigation of Economic Offences

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 15.12.2020 से 24.12.2020 तक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेंट एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आर्थिक अपराधों के अनुसंधान विषय पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप निरीक्षक से पुलिस उप अधीक्षक स्तर के 15 अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को आर्थिक अपराधों के विभिन्न आयामों तथा नवीनतम चुनौतियों के बारे में जानकारी दी जाकर अपराध अनुसंधान के दौरान ध्यान रखने योग्य तथ्यों के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में श्री शरत कविराज, उप महानिरीक्षक पुलिस, एसओजी ने अनुसंधान में तकनीक के प्रयोग के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए Mid-Career Training Program

राजस्थान पुलिस अकादमी के नवाचारों की श्रृंखला में प्रथम बार राज्य सेवा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का पांच दिवसीय आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक श्री एम एल लाठर ने किया। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा ने पुलिस महानिदेशक महोदय का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य तथा इसकी विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री एम एल लाठर ने राजस्थान पुलिस अकादमी के इस नवाचार की सराहना करते हुए प्रतिभागियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंनें सभी प्रतिभागियों से पुलिस बल को कुशल नेतृत्व प्रदान करने तथा बदलते समय के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं तैयार रहने तथा अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरित करने का आह्वान किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों श्री पंकज कुमार सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, श्री अजयपाल लाम्बा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर, श्री गौरव श्रीवास्तव, उप महानिरीक्षक पुलिस ने अपने अनुभव साझा किए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री भूपेन्द्र दक ने प्रतिभागियों के साथ प्रशिक्षण के अनुभवों पर चर्चा की तथा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान दी गई जानकारियों का अपने कार्यक्षेत्र में लाभ उठाने का आह्वान किया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के कुल 32 प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष एवं ऑनलाईन भाग लिया।

Basic training program on Human Rights

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 29.12.2020 को के Basic training program on Human Rights विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक स्तर के कुल 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एवं भूतपूर्व सदस्य राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग श्री एम के देवराजन ने मानवाधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मानवाधिकारों के संबंध में अन्तर्राष्टीय एवं राष्टीय परिदृश्य की जानकारी दी। उन्होंने राष्टीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में भी प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया। सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक श्री एम एम अत्रे एवं श्री गिरधारी लाल शर्मा ने पुलिस कार्यप्रणाली में मानवाधिकार की भूमिका एवं चुनौतियों के बारे में अपने अनुभव प्रतिभागियों के साथ साझा किए। राजस्थान राज्य महिला आयोग में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति अनुकृति उज्जैनियां ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की।

पुलिस उप अधीक्षक इण्डक्शन कोस

राजस्थान पुलिस अकादमी में हाल ही में पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर से पुलिस उप अधीक्षक पद पर पदोन्नत हुए अधिकारियों को छह सप्ताह का इण्डक्शन कोर्स आयोजित किया गया जिसमें कुल 34 अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों को नवीनतम विधि संशोधनों, पुलिस कार्य प्रणाली के नवीनतम आयामों, साईबर अपराधों के अनुसंधान की विशिष्ट विधियों की जानकारी के साथ पुलिस उप अधीक्षक के रुप में पर्यवेक्षण अधिकारी की भूमिका पर विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों के 7 पृथक–पृथक ग्रुप बनाए जाकर उनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बढाने तथा विषय विशेष के संबंध अधतन जानकारी के संबंध में प्रस्तुतीकरण करवाया गया। इसी के साथ प्रतिभागियों को बम डिस्पोजल, वीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, कानून व्यवस्था के दौरान संसाधनों के प्रयोग के संबंध में डेमों के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई। सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दौरान निदेशक श्री राजीव शर्मा ने प्रतिभागियों के साथ समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सेवारत/सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रतिभागियों के साथ चर्चा करवाई गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, नियम एवं पुर्नगठन श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने अनुसंधान के दौरान रहने वाली कमियों एवं साक्ष्य समीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा सभी अधिकारियों को अनुसंधान तथा अनुसंधान के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

अति उत्कृष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा पदक

केन्द्रीय गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा पुलिस सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को अति उत्कृष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान पुलिस अकादमी में पदस्थापित **श्री रामेश्वर प्रसाद, प्लाटून कमाण्डर, श्री शेर सिंह हैड कानिस्टेबल 215, श्री भगत सिंह हैड कानिस्टेबल 41 एवं श्री महावीर सिंह हैड कानिस्टेबल 45** को अति उत्कृष्ट एवं **श्री धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक, श्री शकील अहमद खान कम्पनी कमाण्डर एवं श्री कैलाश चन्द हैड कानिस्टेबल 24** को उत्कृष्ट सेवा पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा ने सभी पदक विजेताओं को बधाई देते हुए भविष्य में भी अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करने की अपेक्षा की है।

श्री लाल सिंह, प्लाटून कमाण्डर का सेवानिवृत्ति समारोह

राजस्थान पुलिस अकादमी में पदस्थापित श्री लाल सिंह, प्लाटून कमाण्डर 41 वर्ष की राजकीय सेवा के बाद 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर उनके सम्मान में राजस्थान पुलिस अकादमी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान पुलिस अकादमी के अधिकारियों सहित श्री लाल सिंह के परिजन भी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा ने उन्हे स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा उनके आगामी जीवन के संबंध में शुभकामनाऐं दी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्जुन खोटकर बनाम कैलाश खुशानराव के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी (4) के अधीन जारी प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। यदि धारा 65बी (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र मूल रुप में अभिलेख पर नहीं है तो न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता से इंकार कर सकेगा।

धारा 65बी (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी या संस्था द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यदि सक्षम प्राधिकारी या संस्था आवश्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है या इंकार करती है तो प्रमाण पत्र चाहने वाला पक्षकार दण्ड प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन न्यायालय से आवेदन कर सकेगा ताकि ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाया जा सके।

माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मूल दस्तावेज या साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाती है तो फिर धारा 65बी (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

Social Media and Women's Safety: Challenges and Role of Police

Submitted by: Rewant Dan, Adl. SP (Jaipur) | **Words**: 1950.

I. INTRODUCTION

The advent of digital technology has dramatically changed our lives. Reportedly, India has the second largest number of users of the internet (around 35% of the population, with 451 million monthly active users). Facebook, YouTube, Twitter, Whatsapp, Instagram are few of the most widely used social networking sites in the country. Arguably, though this new media has undoubtedly created an influx of opportunities, it has also opened doors for an array of crimes against women and children. A cybercrime has no proper legal definition but it can be viewed as a conventional crime (an act or omission which causes breach of rules of law and counterbalance by the state) just, through the internet. According to a report by the National Crime Records Bureau, Government of India, 11,592 cases of cybercrime were registered in 2015 and 8121 persons arrested. More specifically, the National Crime Records Bureau, recorded nearly 3.78 lakh cases of crime against women in 2018 alone.

The deeply patriarchal society in India has given root to a plethora of cyber-crimes against women and girls. We must see this online harassment as a new expression of the gender-inequality and discrimination that exists in the real world. Recently, the "Boys Locker Room" incident has triggered a nation-wide debate surrounding the misogynistic mindsets of young boys and consecutively, the safety of young girls in cyber space. The National Commission for Women (NCW) took up suo-motto cognizance of the matter, leading to arrests. In such an ethos, understanding cyber-crimes against women and girls is imperative.

II. LAWS AGAINST CYBER- CRIMES IN INDIA

In India, there are two important legal frameworks that deal with cyber crimes against women– *The Indian Penal Code(IPC), 1860* and *The Information Technology (IT) Act, 2000*. The Indian Penal Code acts as the supreme criminal law for India, defining a large number of crimes, and also setting their punishment. The provisions of IPC are applicable to cyber-crimes through legislative amendments and judicial interpretations. However, the IT Act is a specialized law that only addresses aspects of offences (even crimes) dealing with the use of information technology. The chief purpose of the Act is to create a safe environment for the use of digital technology. The 2008 amendment of the IT Act further added new offences / cyber-crimes. The IPC and the IT Act complement and reinforce each other in addressing cyber-crimes against women. The legal framework for some major cybercrimes against women has been explained herein:

1. Cyber Stalking

Cyber stalking is the most reported cyber-crime against women. It refers to the act of maliciously following and tracking a woman's online and offline presence. For example, leaving unwanted messages or emails that are harassing the victim. **Section 354D** of the IPC, which defines and provides punishment for the offence of stalking, now includes cyber stalking within its ambit. The crime attracts up to five years in jail and fine. The landmark judgment in this crime was delivered in the case of *Yogesh Prabhu v. State of Maharashtra,* which marked the first conviction in a case of cyber-stalking.

2. Cyber Pornography

Cyber pornography is defined as the act of utilizing the cyber space to create, publish or disseminate pornographic materials. While historically, the law concerning pornography has been dealt through

Section 292 of the IPC, with the offence of 'obscenity'. Furthermore, **Section 354A** of the IPC, added in 2013, regarding sexual harassment, includes a man showing pornographic material to a woman without her consent. In the IT Act, **Section 67A** provides an additional legal remedy. The section prohibits the "*publishing or transmitting or causing to be published or transmitted in the electronic form any material which contains sexually explicit act or conduct, and treats such acts as punishable offences*". The punishment for cyber pornography under the IT Act provision is up to seven years and fine. The case of *Suhas Katti v. State of Tamil Nadu* (2004) marked the first conviction for the crime of cyber pornography.

3. Cyber Voyeurism

The crime of Voyeurism (maliciously invading the private space of a women without her consent) becomes even more relevant in the current context of digital media. Social media has allowed photographs and videos to be taken quite easily with our phones and just as easily circulated widely through social media and pornographic sites on the internet. The crime violently violates the bodily autonomy and dignity of a woman. It is imperative to note here that even if a woman has sent her pictures or videos to her partner with consent, but not given consent for such pictures or videos to be circulated with third persons and later, these are disseminated by her partner- this action falls within the ambit of cyber voyeurism.

The offence is defined by **Section 354C** of the IPC. Furthermore, the criminal law on voyeurism is supplemented by **Section 66E** of the IT Act- which punishes a *Violation of Privacy* with up to three years imprisonment and fine. Furthermore, the *Indecent Representation of Women (Prevention) Act, 1986*also protects the modesty and dignity of women in mass media forums through **Sections 3**, **4**and **6.**

4. Morphing

Morphing refers to the editing of an original picture by an unauthorized user (without the owner's consent), which is later re-uploaded. Morphed photos are made with the intent to defame the victim and viciously malign her character. This crime attracts punishment under **Section 43** (which includes acts of unauthorized downloading/copying/extracting and destroying/ altering data) and **Section 66** of the IT Act (which spells out various computer-related offences). Furthermore, the violator can face charges under numerous criminal offences of the IPC such as*Sexual Harassment* (**Section 354A**), *Public Nuisance* under (**Section 290**), *Obscenity* (**Section 292A**) and *Defamation* (**Section 501**).

5. Online Trolling or Bullying

Online Trolling or Bullying is the act of bullying a person over digital media. This is usually an act of intimidation and aggression from a person in a superior place that aims to target, embarrass or humiliate the victim. Since there is anonymity on internet, bullies are often more empowered to display their predatory behavior. Reportedly, India ranks third in cyber bullying- after China and Singapore. This offence is addressed under IPC provisions of: *Criminal Intimidation* (**Section 503, 506**and **507**). In *Saddam Hussain v. State of M.P*, the accused had outraged the modesty of the victim, video recorded the same on his phone and used the same to blackmail her.

There are many other cyber-crimes against women such as *Email spoofing and Impersonation*, *Sending Obscene or Defamatory messages.*

III. CHALLENGES

Despite the existence of strong laws for the protection of women and children, there are glaring loopholes that are preventing effective implementation of the same, these are:

1) First and foremost, there is a major legal lacuna (lack of specific clauses) in Cyber law. The legal system has failed to define Cybercrimes holistically, leaving space for vagueness and loopholes. Recent developments such as Trolling find no place in the scope of cyber laws.
2) Cyber-crimes related to sexual harassment of women and children are

often not reported due to the stigma attached to such crimes. Often, families do not want to take such matters to the police for fear of defamation by society. Worse still, most perpetrators of such crimes are known to the victims (and their families), making legal action even more difficult. Further, victims are often made to believe that such crimes are their own fault.

3) There is a general lack of awareness about cyber-laws that enables predators and leaves the victims without legal respite.

4) Further, there is an under-reporting of cyber-crimes i.e. online harassment of women and child sex abuse in the India. National Crime Records Bureau (NCRB) of India does not maintain any separate record of cyber-crimes against children and woman. There are no official surveys or reports establishing the real numbers of this crisis.

5) With constant updates in technology (and anonymity), it has become harder to track down cyber-criminals since the police forces are not well equipped due to lack of dedicated cyber forensic laboratories. Resultantly, it takes enforcement agencies a huge amount of time to solve such investigations.

6) Lastly, since most social media networks are Foreign Service providers, there are complications in cooperation during investigations due to cross border issues.

IV. ROLE OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES

Conclusively, there is a need for agencies such as the Police to take a much more proactive role in ending cyber harassment on women. Some suggestions towards this motive are:

1. The NCRB must record the number of cyber-crimes against women and girls separately to actually aid in understanding the magnitude of the crisis. Further, official data and statistics will help us in analyzing the performance of law enforcement agencies.
2. Secondly, Police personnel must be sensitized to effectively handle sensitive cases with matters such as sexual abuse. Further, they must be made aware of the various provisions of cyber law through workshops and seminars by experts. This could also be done through including the same in the curriculum training of young officers.
3. Thirdly, there should be an effective online forum for redressal of cybercrimes. This will make the complaint system quicker, cheaper and more accessible for all. This method will also help in preserving the privacy of victims.
4. Fourthly, there is an urgent need to modernize the system. This will include improving current technology and digital resources available to the Cyber Cells. This action will enable the forces to run at par with cyber-criminals and increase rate of arrests and convictions.
5. Fifthly, law agencies must aim to effectively partner with International Digital Platforms to ensure speedy tracking of such criminals.
6. Lastly, the Police must aim to raise awareness about cyber laws amongst young girls and women. The force must engage in trust-building exercises with the public and assure their utmost support and dedication.

While timely legal action will undoubtedly act as a deterrent against such crimes, the true solution for ending harassment against women and children is attempting to end the patriarchal and misogynistic system they thrive on.

अक्टूबर से दिसम्बर 2020

दिनांक 01.10.2020 से 28.12.2020 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	आर.पी.एस. प्रशिक्षु प्रारम्भिक प्रशिक्षण	01
2.	उप निरीक्षक (प्रशिक्षु) का 04 सप्ताह का सैण्डविच कोर्स	01
3.	पीसी (आरएसी) से उप निरीक्षक (एपी) का सैण्डविच कोर्स	07
4.	खेल कोटे से भर्ती कानि.रिक्रूट का 6 सप्ताह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	04
5.	खेल कोटे से नवनियुक्त कानि0 रिक्रूट का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	35
6.	कानि0 रिक्रूट (बैण्ड) 8 माह का व्यवसासिक प्रशिक्षण कोर्स	21
7.	कानि0 रिक्रूट (बैण्ड) 8 माह का व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स	05
8.	कानि. रिक्रूट(बैण्ड) 4 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स	01
9.	महिला रिक्रूट कानि0 का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	08
10.	कानि0 रिक्रूट (घुडसवार) प्रारम्भिक प्रशिक्षण (06 माह)	01
11.	कनिष्ठ सहायकों (लिपिक ग्रेड–2) के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण	99
	कुल योग	**183**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	कानि (बैण्ड) से हैड कानि. (बैण्ड) पद की पीसीसी	01
2.	पुलिस निरीक्षक से पुलिस उप अधीक्षक के पद का इण्डेक्शन कोर्स	34
3.	उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक पद की पीसीसी	01
4.	सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक पद की पीसीसी	84
5.	कानि (बैण्ड) से हैड कानि0 (बैण्ड) पद की पीसीसी	05
	कुल योग	**125**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	Investigation of Cases under POSCO Act-2012	14
2.	Investigation of Cases under POSCO Act-2012	19
3.	Basic training Programme on "Human Right"	16
4.	Mid - Career Training Programme for RPS Officers (Online Mode)	34
5.	DST Course	27
6.	Investigation of Economic Crime Cases **(BPR&D)**	15
7.	Anti Human Trafficking **(BPR&D)**	15
8.	Cyber Crime Awareness Course (CCPWC)	16
9.	Cyber Crime Awareness Course (CCPWC)	14
10.	Cyber Crime Awareness Course (CCPWC)	21
	कुल योग	**191**

Editorial Board

Editor in Chief
Rajeev Sharma, IPS, Director

Editor
Dheeraj Verma, Inspector

Members
Sh. Kailash Chandra, DIG
Sh. Manish Agarwal, IPS, DD
Sh. Karan Sharma, AD
Sh. Rewant Dan, AD
Sh. Saurabh Kothari, AD
Smt. Suman Chaudhary, AD
Sh. Jeev Prakash, AD

Photographs By Sagar

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph. : +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : dirrpa@gmail.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Premier # 0141-2295097